



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-21072025-264834
CG-MH-E-21072025-264834

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3251]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 18, 2025/आषाढ़ 27, 1947

No. 3251]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 18, 2025/ASHADHA 27, 1947

रेल मंत्रालय

(पश्चिम रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 15 जुलाई, 2024

का.आ. 3324(अ).— केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 (च) के खंड (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में उल्लिखित अधिकारी को 'मध्यस्थ' को उक्त सारणी के स्तंभ (3) में उल्लिखित जिले के संबंध में महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, महाराष्ट्र राज्य में मुंबई शहर परिवहन परियोजना - III अ के अंतर्गत बोरिवली - विरार स्थानों के दरम्यान पाँचवाँ और छठा रेलवे लाइन के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे प्राधिकारी के रूप में कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करती है।

सारणी

क्रम संख्या	अधिकारी	जिला
(1)	(2)	(3)
1.	अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, पालघर जिल्हा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, पालघर	पालघर

[फा. सं. E-25840-27]

मुकेश कुमार, मुख्य इंजीनियर (निर्माण) - I

MINISTRY OF RAILWAYS**(WESTERN RAILWAY)****NOTIFICATION**

Mumbai, 15 July 2025

S.O.3324(E).— In exercise of the powers conferred by clause (6) of section 20F of the Railway Act, 1989 (24 of 1989), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby appoints '**the arbitrator**' mentioned in column (2) of the Table below to perform the functions as such authority under the said Act, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the special railway project namely, Borivali- Virar 5th and 6th Railway Line under MUTP-III A on Western Railway, in the district of Palghar in the State of Maharashtra relating to the districts mentioned in columns (3) of the said table for the execution, maintenance, management and operation of such special railway project.

Table

S. No.	Officer	Districts
(1)	(2)	(3)
1.	Additional District Collector, Palghar, Office of District Collector and District Magistrate, Palghar.	Palghar

[F. No. E-25840-27]

MUKESH KUMAR, Chief Engineer (Con-I)